



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
 Ministry of Environment, Forest & Climate Change
 क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
 Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
 दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० ८ बी/य०सी०पी०/०६/३८/२०२२/एफ०सी०
 सेवा में,

दिनांक: As per E-sign

प्रमुख सचिव (वन),
 उत्तराखण्ड शासन,
 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/534 किमी. 196.00 से 276.00 सतुपली-श्रीनगर के दो लेने चौड़ीकरण हेतु 31.962 हैं। (पूर्व में 32.553 हैं) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रा० रा० लो०नि०वि०, श्रीनगर को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/45296/2020).

सन्दर्भ: कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 1286/12-1: देहरादून: दिनांक: 02.01.2026.

महोदय,

उपरोक्त विषय कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के संदर्भित पत्रों का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 संशोधन वर्ष 2023 के प्रावधानों के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी हैं। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/534 किमी. 196.00 से 276.00 सतुपली-श्रीनगर के दो लेने चौड़ीकरण हेतु 31.962 हैं। (पूर्व में 32.553 हैं) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रा० रा० लो०नि०वि०, श्रीनगर को प्रत्यावर्तन हेतु विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः-

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
- परियोजना के लिए आवश्यक गैर-वानिकी भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सौंपने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- This approval is subject to the final outcome w.r.t. Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025 and 04.03.2025.*
- प्रतिपूरक वनीकरण

(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 63.924 है। अवनत वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम संख्या	अवनत भूमि का विवरण	कक्ष स.	क्षेत्रफल (हे. में)
1	अगस्वाडा	क.स.-6	20.924
2	गबनी III	क.स.-9	5
3	गबनी III	क.स.-9	5
4	गवारी	क.स.-9	5
5	अमेली IV	क.स.-8	5
6	आदवनी	क.स.-7	8
7	दीवा III	क.स.-7	15
योग			63.924

(ख) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यथासंभव बॉज वृक्षों का वृक्षारोपण भी प्रस्तावित प्रतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत किया जायेगा।

(ग) प्रस्ताव हेतु कैम्पा कोष में कुल जमा की गई राशियों का विवरण :

क्रम सं.	मद	कुल जमा राशि (रु. में)
1	क्षतिपूरक वनीकरण (CA)	3,47,13,097
2	शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV)	4,13,22,072
3	अन्य (SMC & WLMP)	2,16,43,575

- प्रस्ताव में प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों का भी अक्षरशः पालन किया जाएगा।
- The Divisional Forest Officer (DFO) concerned shall ensure that any road cutting undertaken in future is carried out strictly as per the approved alignment only. Any deviation from the approved alignment shall attract the provisions relating to violation under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.*
- प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वन क्षेत्र में मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा।
- वैकल्पिक / प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।
- वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से सुनिश्चित किया जाएगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को यथासंभव न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 2460 वृक्षों एवं 76 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
12. प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass / overpass, अन्य कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।
13. State government shall ensure that road cutting shall be done as per the KML file submitted only, otherwise deviation will attract the provision of violation under Van (Sanrakshan Eevam Samvardhan) Adhiniyam,1980.
14. The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.
15. The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable.
16. The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable. The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/ Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.
17. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
18. संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
19. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
21. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

22. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
23. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
24. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
25. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
26. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
27. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
28. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
29. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

This bears the approval of competent authority.

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ ० सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा

पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।

2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेशनल CAMPA, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तृतीय तल (फ्रंट पॉर्शन), सूप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग (लाइन-3), नई दिल्ली-110001 (Email: nationalcampa-moefcc@gov.in).
4. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
5. अधिशाशी अभियंता, धूमाकोट, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड
6. आदेश पत्रावली।